

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आइ0एल0आर0  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जान की गई। विराके अनुसार  
 शिवाजी, शिवदेव - श्री गणेश/प्रसाद पुत्र - श्री जगन्नाथराव शिव उदयपुर आंधर बाई  
 पत्नी व शिवान काई के सम्बन्ध में शिवदेव का नाम गणेश/प्रसाद पुत्र गणेशराव  
 का ही दर्जनाय गणेश/प्रसाद पुत्र जगन्नाथराव किया जाना उचित है।  
 24/04/2023

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक -

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर नियेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशप्ता की जाती है /उही की जाती है।

24/04/23  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधुनू (राज.)

- आदेश -

दिनांक - 24/4/23

सु.नं = 35/2023

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रभावती पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	शिवाजी	2075-78	565 566	गणेश/प्रसाद पुत्र गणेशराव	गणेश/प्रसाद पुत्र गणेशराव

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

कार्यवाही के लिए 2023

प्रभारी अधिकारी  
 राजस्थान भू-राजस्व अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 दिनांक - 24/04/2023

क्रमांक :- राजस्व/2020/03  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया महोदय/महोदया को सूचनाार्थ।

24/4/23  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 प्रभारी अधिकारी  
 राजस्थान भू-राजस्व अधिकारी, उदयपुरवाटी